HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 176/2026

Akshay Sharma S/o Shri Totaram

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Madhav Mitra, Sr. Adv. assisted by Mr. Akshat Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

13/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय में जो आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, उसके साथ सूची दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस कारण इंडेक्स के साथ संपूर्ण आरोप पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यालय आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुसार जब तक दस्तावेज की सूची के साथ उससे मिलान करते हुए आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावे, तब तक आरोप पत्र ग्रहण नहीं किये जावें।

विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि उन्होंने प्रसंज्ञान आदेश को चुनौती दी है तथा आज विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जा रहा है और यदि आरोप विरचित कर दिया जाता है, तो उनके द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा।

विद्वान लोक अभियोजक इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र के साथ सूची प्रस्तुत की गयी है या नहीं।

अतः विद्वान लोक अभियोजक इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय से इस प्रकरण में प्रस्तुत आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत इंडेक्स (सूची) मंगवायी जावे, जिसके आधार पर आरोप पत्र दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दिनांक 19.02.2026 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक विद्वान विचारण न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित नही करे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /126 (S)